



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]
No. 109]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 2008/माघ 4, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2008/MAGHA 4, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2008

का.आ. 148(अ).—चीफ कंट्रोलिंग रेवन्यू अथारिटी, दिल्ली संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2709, तारीख 7 सितम्बर, 1966 के भागतः उपांतरण में राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधधीन और अगले आदेशों तक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन स्टाम्प शुल्क के समेकन के संबंध में राज्य सरकार शक्तियों का प्रयोग और कृत्य का निर्वहन भी करेगी।

[फा. सं. यू-11019/5/2007-यूटीएल]

बी. भामथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2008

S.O. 148(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution and in partial modification of the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs number S.O. 2709, dated the 7th September, 1966, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi shall also, subject to the control of President and until further orders, exercise the powers and discharge the function of the State Government in respect of consolidation of stamp duty under clause (b) of sub-section (1) as per the provisions contained in clause (b) of sub-section (2) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899).

[F. No. U-11019/5/2007-UTL]

B. BHAMATHI, Jt. Secy.